न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2015 / 00119)

प्रकरण सख्याः– 10 / 2015(अपील)
दायर दिनांकः– 17 / 01 / 2015
निर्णय दिनांकः– 12 / 11 / 2025

अनवान

1. प्रभा कंवर पुत्री चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रान तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अपीलाण्ट

बनाम

1. पद्मसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रान तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. सरपंच ग्राम पंचायत नराणा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. प्रद्युम्न सिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत निवासी रान तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05.09.2006 ग्राम पंचायत नराणा

: : निर्णय : :

अपीलाण्ट ने जरिये अधिवक्ता के अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् निरस्त कराने नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05.09.2006 ग्राम पंचायत नराणा पेश किया जिसका संक्षेप में विवरण है कि वादग्रस्त आाजीयात ग्राम रान पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 46 आराजी संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 48 कुल किता 11 कुल रकबा 43 बिघा 10 विस्वा भूमि संबंधित है। ग्राम पंचायत नराणा ग्राम रान में चतरसिंह पिता जीवनसिंह राजपूत की मृत्यु के बाद रेस्पोडेण्टस पद्मसिंह के प्रार्थना पत्र पर ग्राम पंचायत नराणा, पटवार हल्का नराणा के द्वारा विधिवत् विरूद्ध तरीके से बिना किसी जांच पड़ताल किये। चतरसिंह राजपूत की मृत्यु के बाद एक फर्जी रूप से सजरा बनाते हुए चतरसिंह पिता जीवनसिंह राजपूत की वादग्रस्त आराजीयात कुल किता 11 कुल रकबा 43 बिघा 10 विस्वा भूमि का नामान्तरण पद्मसिंह पिता चतरसिंह राजपूत रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम खोल दिया गया एवं चतरसिंह की एकमात्र संतान होना बताया गया। जबकि चतरसिंह की मृत्यु के बाद में अपीलान्ट उनकी जायन्दा पुत्री होने से उक्त वादग्रस्त आराजीयात की मालिक स्वामित्व की थी एवं विरासत की उक्त भूमि मुझ अपीलान्ट प्रभा कंवर के नाम 1/2 दर्ज रिकॉर्ड होनी थी परन्तु रेस्पोडेन्टस ने मिलीभगत कर मुझ अपीलान्ट के पिता की एकमात्र संतान बताया गया व धोखा

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

धड़ी पूर्वक उक्त भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेण्ट संख्या 01 ने अपने नाम खुलवा दिया। जबकि उक्त भूमि में अपीलान्ट अपने पिता की मृत्यु के बाद से ही में अपीलान्ट उक्त भूमि पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के कास्त करते रहे है। मुझ अपीलान्ट को ऋण बाबत् आवश्यकता होने से जब जमाबंन्दी की आवश्यकता हुई तब दिनांक 02/12/2015 को पटवार हल्का नराणा के पास गई तब मुझ अपीलान्ट को जानकारी हुई कि उक्त भूमि में मेरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है एवं सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम रिकॉर्ड में चल रही हैं जबकि उक्त भूमि विरासत से अधिकारिणी में चतरसिंह की जाईन्दा पुत्री प्रभाकंवर हुँ। जिस पर दिनांक 02.12.2015 को मुझ अपीलान्ट द्वारा नामान्तरण की नकल प्राप्त की गई। चतरसिंह पिता जीवनसिंह के जायन्दा जीवित पुत्री प्रभाकंवर हैं मैं अपीलाण्ट अपने सुसराल में रह रही हूँ एवं पीहर मेरे पिता से प्राप्त की सम्पति की देखभाल कर सामलाती हूँ। ग्राम पंचायत नराणा द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से उक्त नामान्तरण दिनांक 05/09/2006 को मुझ अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना जांच किये विधि विरूद्ध व मनकसद तरीके से ग्राम पंचायत नराणा द्वारा उक्त रेस्पोडेन्ट के नाम पर नामान्तरणकरण खोल दिया गया। जबकि मे अपीलान्ट चतरसिंह की जायन्दा पुत्री हूँ एवं रेस्पोडेण्ट उपरोक्त आराजीयात में 1/2 से ज्यादा हिस्से पर हक अधिकार नहीं रखते हैं। रेस्पोडेण्ट ने मिलीभगत कर ग्राम पंचायत नराणा एवं पटवार हल्का नराणा ने एक फर्जी रूप से मेरे पिता का नामान्तरण अपने नाम खुलवा दिया उक्त नामान्तरण विधि विरूद्ध हो निरस्ती योग्य है। मुझ अपीलान्ट को ग्राम पंचायत नराणा द्वारा मनमकसुद तरीके से नामान्तरण खोलने की जानकारी दिनांक 02/12/2015 को होने पर नकल नामान्तरण निकलवाई गई। तब से उक्त जानकारी होने से उक्त अपील प्रस्तुत है। जो धारा 05 परिसीमा अधिनियम की सीमा में सीमायत है। अपील की जानकारी दिनांक 02/12/2015 से अन्दर अवधि मियाद अधिनियम की धारा 05 की सीमा में सीमायत हैं जिसके बाबत् अलग से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील विरूद्ध नामान्तरण करण संख्या 216 दिनांक 05/09/2006 ग्राम पंचायत नराणा को निरस्त फरमाया जावें कि अपीलान्ट के पिता चतरसिंह पिता जीवनसिंह राजपूत की कृषि भूमि रान पटवार हल्का नराणा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 46 आराजी संख्या 27, 28, 29, 30, 31, 40, 41, 42, 43, 45, 45 कुल किता 11 कुल रकबा 43 बिघा 10 विस्वा भूमि हैं जिसमें अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने बाबत् नामान्तरकरण खोले जाने का तहसीलदार, देवगढ़ को आदेश फरमाया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से जवाब पेश किया कि प्रभा कंवर ने जानबूझकर नामान्तरकरण संख्या 216 तारीख

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

फैसला 05/09/2006 के विरूद्ध गलत अपील आप न्यायालय में पेश की है जो स्पष्ट रूप से चलने योग्य नहीं होकर काबिल निरस्त के है। अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से कोई सम्बन्ध नहीं है अपीलान्ट रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहन नहीं है उसने जानबूझकर कथित नामान्तरकरण के विरूद्ध बिल्कुल गलत अपील भूमाफियों के कहने में आकर पेश की है। अपीलान्ट का इंचमात्र जमीन पर कब्जा नहीं रहा है उसने कभी भी काश्त नहीं की है तथा यह भी नहीं जानती है कि कथित जमीन कहां पर स्थित है उसने कभी भी लगान भी नहीं जमा करवाया है, क्योंकि उसका कथित जमीन से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अपीलान्ट के नाम पर जमीन दर्ज हुए को करीब 10 वर्षों का समय हो चुका है तथा अगर अपीलान्ट रेस्पोडेण्ट की बहन होती तो कथित नामान्तरकरण के विरूद्ध 30 दिन में ही पेश कर सकती थी। परन्तु वह बहन नहीं होते हुए भी कुछ भूमाफियों के कहने में आकर 10 वर्षों बाद यह अपील पेश की गयी है। अपीलान्ट ने इसी जमीन बाबत् रेग्युलर वाद भी आप न्यायालय के यहां पेश कर दिया है जिसकी प्रति इस प्रारम्भिक आपत्ति के साथ पेश की जा रही है। जब अपीलान्ट ने रेग्युलर वाद पेश कर दिया ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही चलने योग्य नहीं है तथा इसी आधार पर काबिल निरस्त के है जैसा कि आर0बी0जे0 1999 पेज 481 व 127 पर तय किया गया है। ऐसी स्थिति में यह अपील किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। इसमें यह तय किया गया है कि जब रेग्युलर वाद इसी जमीन के संबंध में हो चुका है तो समरी कार्यवाही नहीं चल सकती है इसी आधार पर यह अपील काबिल निरस्त करायी जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण में प्रद्युमनसिंह पिता पद्मसिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रद्युमनसिंह पिता पद्मसिंह को रेस्पोडेण्ट पक्षकार के रूप में संयोजित किए जाने के आदेश दिये गये।

प्रद्युमनसिंह पिता पद्मसिंह द्वारा जवाब पेश किया कि अपील की कॉलम संख्या 01 भूमि व रिकॉर्ड से संबंधित होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादपत्र की कलम संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि नहीं है। वादग्रस्त भूमि स्व0 चतरसिंह की स्वअर्जित खरीदसुदा भूमि है एवं उक्त वर्णित भूमि का रेस्पोण्ट संख्या 03 प्रद्युमनसिंह वसीयत स्वामी होकर उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वामी होकर मालिक है एवं चतरसिंह द्वारा प्रद्युमनसिंह के पक्ष में वसीयत निष्पादित की हुई है एवं वसीयत द्वारा चतरसिंह द्वारा उक्त भूमि प्रद्युमनसिंह को दी गई है। उक्त भूमि में अपीलान्ट प्रभाकंवर का कोई हक अधिकार नहीं हैं एवं ना ही अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा है एवं ना ही प्रभाकंवर ने उक्त भूमि पर कभी कोई काश्त व खेती की है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य, दस्तावेज, कमिश्नर रिपोर्ट उपलब्ध नहीं हो जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट प्रभाकंवर का उक्त भूमि पर कब्जा हैं। अपीलान्ट प्रभा कंवर का उक्त कृषि भूमि पर कब्जा नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत नराणा, तहसीलदार, देवगढ़ एवं पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि का

सहायक कलेक्टर जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

चतरसिंह की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 01 पदमसिंह के नाम खोला गया नामान्तरण गलत रूप से खोला गया है क्योंकि चतरसिंह द्वारा उनके जीवित रहते हूए की उक्त भूमि जो कि स्व0 चतरसिंह की स्वअर्जित भूमि हैं कि वसीयत दिनांक 04/05/2006 को मौतबीर गवाह युवराजसिंह पिता रामसिंह व फतेहसिंह पिता शिवसिंह की उपस्थिति में प्रद्युमनसिंह के पक्ष में निष्पादित की गई है। अपील की कॉलम संख्या 4 में अंकित कि श्रीमती प्रभा कंवर स्व चतरसिंह जी की पुत्री हैं स्वीकार हैं व उसके ससुराल में रहती है। शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार हैं उक्त वादग्रस्त भूमि पर श्रीमती प्रभा कंवर का कोई कब्जा, हक अधिकार नही हैं। उक्त भूमि की वसीयत स्व. चतरसिह जी ने श्री प्रद्युमनसिंह के पक्ष में निष्पादित कर रखी हैं तथा कब्जा भी प्रद्युमनसिंह का ही है। अपील की कॉलम संख्या 5 में अंकित ग्राम पंचायत नराणा द्वारा जो नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 05.09.2006 को खोला गया है वह गलत तरीके से खोला गया है। उक्त भूमि स्व. चतरसिह जी की स्वअर्जित सम्पति होकर स्व. चतरसिंह जी द्वारा अपनी स्वअर्जित सम्पति उक्त भूमि जरिये वसीयत श्री प्रद्युमनसिह को दी हैं इसलिये उक्त भूमि मे अपीलान्ट श्रीमती प्रभा कंवर व रेस्पोडेन्ट श्री पदमसिह जी का कोई हक नहीं है। ग्राम पंचायत नराणा व पटवार हल्का द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 216 दिनांक 05.09.2006 गलत रूप से खोला गया हैं जिसे निरस्त कर रेस्पोडेन्ट श्री प्रद्युमनसिंह के नाम पर खोला जाना आवश्यक है। अपील की कॉलम संख्या 6 अस्वीकार हैं। अपील की कॉलम संख्या 7 कानूनी है। अपील की कॉलम संख्या 8 कानूनी है। अपील की कॉलम संख्या 9 अस्वीकार है। जवाब के विशेष उत्तर में उल्लेखित है कि रेस्पोडेन्ट श्री प्रद्युमनसिंह उक्त भूमि जो उसे स्व. चतरसिंह जी से जरिये वसीयत प्राप्त हुई हैं का स्वामी होकर उक्त भूमि पर श्री प्रद्युमनसिह का ही कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि स्व. चतरसिह जी की स्वअर्जित सम्पति हैं तथा उक्त कुल किता 11 कुल रकबा 43 बीघा 10 विस्वा भूमि स्व. श्री चतरसिह की स्व अर्जित भूमिया हैं एव उक्त भूमि स्व. चतरसिंह जी को अपने पिता श्री जीवनसिह जी निवासी रान से विरासत मे प्राप्त नही हुई है। उक्त कृषि भूमियां चतरसिह की स्व अर्जित भूमिया हैं जिसके खरीद के स्टाम्प मुकदमा नम्बर 10/15 की मुल पत्रावली में संलग्न है। उक्त कृषि भूमिया व भूमि में बना हुआ मकान श्री चतरसिह जी स्व. अर्जित थी जिसे चतरसिह जी को किसी को भी बख्शीश/वसीयत/दान इत्यादि करने का पूर्ण अधिकार था तथा श्री चतरसिह जी ने अपने अधिकारो का पूर्ण उपयोग करते हुए दिनांक 04.05.2006 को मौतबीर गवाहो श्री युवराजसिह व फतेहसिह की उपस्थिति मे उक्त भूमि की वसीयत श्री प्रद्युमनसिह के पक्ष में निष्पादित करवाई और उक्त वर्णित भूमि जरिये वसीयत श्री प्रद्युमनसिह को दी है। उक्त दोनो गवाह श्री युवराजसिंह व फतेहसिंह के शपथ पत्र मूल पत्रावली में संलग्न है। वसीयत निष्पादन दिनांक 04.05.2006 एंव उसके पश्चात श्री चतरसिंह जी की मृत्यु दिनांक 24.05.2006 से ही रेस्पोडेन्ट प्रद्युमनसिंह निवासी रान उक्त वर्णित भूमि 43 बीघा 10 विस्वा भूमि व उस पर बने मकान का मालिक हो चुका है। तथा चतरसिंह जी की मृत्यु के पश्चात से ही उक्त भूमिया व उस पर बने मकान पर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

प्रद्युमनसिंह का ही कब्जा व आधिपत्य है एवं चतरसिह जी की मृत्यु के पश्चात से ही श्री प्रद्युमनसिंह उक्त भूमि का उपयोग उपभोग एंव काश्त करवा रहा हैं व कर रहा है। चतरसिंह जी ने मुझ रेस्पोडेन्ट प्रद्युमनसिंह के पक्ष में निष्पादित की गई वसीयत दिनाक 04.05.2006 में स्पष्ट अंकित किया है कि इस वसीयत के आधार पर मेरा पुत्र पदमसिह व पुत्री प्रभा कंवर का मेरी किसी भी सम्पति में कोई हक हकुक प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 में वसीयत के निष्पादन को साबित करने के उद्देश्य से गवाहों में से एक गवाह की गवाही ही पर्याप्त हैं तथा पुलिस थाना दिवेर द्वारा एफआईआर नम्बर 17/2024 मे प्रथम अनुसंधान अधिकारी दिवेर एव द्वितीय अनुसंधान अधिकारी सीआई कांकरोली द्वारा एफआईआर नम्बर 17/2024 के अनुसंधान में दिनांक 04.05.2006 को निष्पादित की गई वसीयत के वसीयतकर्ता चतरसिह जी द्वारा वयीयत पर लगाए गये अंगुठा निशानी को वसीयत के दोनो गवाह श्री युवराजसिंह व फतेहसिंह ने दोनो पुलिस अनुसंधान अधिकारियों की पुछताछ मे अपने बयान में वसीयत मे लगे अंगुठा निशानी को सही साबित किया है। पुलिस द्वारा एफआईआर नम्बर 17/2024 के अनुसंधान के उपरान्त अन्तिम रिपोर्ट मे उक्त प्रकरण में एफआर लगाते हुए लिखा हैं कि काफी प्रयास के बावजुद भी चतरसिंह जी द्वारा प्रद्युमनसिंह के पक्ष में जारी वसीयत दिनांक 04.05.2006 के झुठी व फर्जी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला हैं। पुलिस अनुसंधान की अन्तिम रिपोर्ट मुकदमा नम्बर 10/2015 की मूल पत्रावली में संलग्न है। अपीलान्ट श्रीमती प्रभा कंवर ने आप न्यायालय में प्रकरण संख्या 90/15 व प्रकरण संख्या 10/15 दर्ज करवाये जिसमे से प्रकरण संख्या 90/15 लोक अदालत मे श्रीमती प्रभा कंवर ने विड्रो कर दिया है। प्रभा कंवर ने एक प्रकरण विड्रो कर दिया हैं इससे यह स्पष्ट हैं कि श्रीमती प्रभा कंवर ने स्वीकार किया कि उक्त प्रकरण में मुझ रेस्पोडेन्ट प्रद्युमनसिह के पक्ष मे निष्पादित वसीयत पर किये गये अंगुठा निशानी चतरसिह जी के ही हैं तथा अंगुठा निशानी फर्जी नहीं है। उक्त वर्णित भूमि स्व. चतरसिह जी की स्वअर्जित सम्पति थी तथा चतरसिंह जी ने स्वैच्छा पूर्वक उक्त वर्णित कृषि भूमियां व उसमें बना हुआ मकान जरिये वसीयत रेस्पोडेन्ट प्रद्युमनसिंह को दी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वअर्जित सम्पति का अपनी ईच्छा अनुसार उपयोग उपभोग करने, अन्तरण एंव हस्तान्तरण, बक्षिस, वसीयत एंव विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होता हैं। उक्त भूमिया स्व. चतरसिह जी को विरासत मे प्राप्त नहीं हुई है। स्व. चतरसिह जी द्वारा अपनी स्वअर्जित भूमियां व उसमें बना मकान अपनी ईच्छा से जरिये वसीयत मुझ प्रद्युमनसिंह को दिये गये हैं तथा उक्त भूमि व मकान को मुझे वसीयत करने एंव वसीयत निष्पादित कर देने से प्रभा कंवर एंव पदमसिंह दोनों का उक्त भूमि मे कोई हक निहित नहीं रह जाता है। अतः श्रीमान् से निवेदन हैं कि मुझ रेस्पोडेन्ट का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए ग्राम पंचायत नराणा द्वारा खोले गये नामान्तरण सं. 216 दिनांक 05.09.2006 को निरस्त करते हुए मुझ रेस्पोडेन्ट प्रद्युमनसिंह पिता पदमसिंह निवासी रान के नाम उक्त भूमि का नामान्तरण खोले जाने का आदेश प्रदान करावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में धारा 05 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

मियाद के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर0आर0डी0 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत होता है तो उसे केवल मियाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रमाणित किया गया है कि–

> **Limitation Act, 1963, S.5 Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case Legality of Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.**

चुंकि हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तानुसार मियाद का उपशमन किया जााकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि पक्षकरों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। ये यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मांगे। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।

उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

नामान्तरण के प्रावधानः–

> राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1):– ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा ऐसे तथ की जानकारी होने पर तहसीलदार ऐसी जांच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो तथा निर्विकार मामलों में यदि उत्तराधिकार, अन्तरण या अन्य अर्जन हुए प्रतीत हों तो उन्हें वार्षिक रजिस्टरों में अभिलिखित करेगा।

इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 का विश्लेषण किया जाना समीचीन हैः–

धारा 40 के अनुसारः– आसामियों का उत्त्तराधिकार

> **Succession to tenants When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.**

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

"जब आसामी अन्तिमेच्छा –पत्र छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके भूमि–क्षेत्र में उसके हित उसके उस व्यक्तिगत कानून के अनुसरण में अवतरित होंगे जिसके कि वह अपनी मृत्यु के समय अधीन था।"

उक्त प्रावधानों के तहत आक्षेपित नामान्तरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 05/09/2006 का अवलोकन किया जाना उचित होगाः–

उक्त नामान्तरकरण विरासती दर्ज हुआ है, विरासती नामान्तरकरण दर्ज करते समय राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेखित नियम 1957) के प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक हैः– उक्त नियमों में नियम 119 से नियम 144 तक विस्तृत विवरण दिया गया हैः–

नियम 121 सामान्य हिदायतेंः–

उक्त नियम में नामान्तरणकरण दर्ज करते समय आवश्यक कार्यवाही/प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और सम्बन्धित हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई/बयान इत्यादि का विवरण दिया गया है–

उक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित नामान्तरकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जैसा कि अपीलान्ट ने अपील मीमो में यह अंकित किया है कि मृतक चतरसिंह के वारिसान मे पुत्र के साथ स्वयं पुत्री भी सम्मिलित है। इसलिए उसका पक्ष सुने बिना मृतक पिता की भूमि में उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि विरासती नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पुत्रियों को भी पुत्र में भांति समान अधिकार प्रदान किए गए हैः– इसी क्रम में एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदयुमनसिह द्वारा पेश किया गया जिसें पक्षकार के रूप में संयोजित कर उसे सुना गया और रेस्पोडेण्ट पक्षकार ने अपने जवाब में यह उल्लेख किया कि मृतक चतरसिंह पिता जीवनसिंह द्वारा उसके पक्ष में वसीयत की गई और वसीयत के अनुसार वह मृतक की अचल सम्पत्ति(भूमि) में अपना अधिकार होने से उसके पक्ष में नामान्तरकरण खोला जाना चाहिए था, जो नहीं खोला गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, उभय पक्ष के अधिवक्तागणों की बहस के उपरान्त हमारे द्वारा उपरोक्त प्रकरण पर मनन किया गया कि ग्राम पंचायत नराणा द्वारा आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 05.09.2006 में नामान्तरणकरण दर्ज करने के संबंध में दिए गए विधिक प्रावधान एवं कानूनी दिशा–निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ ग्राम पंचायत नराणा द्वारा त्रुटि/भूल कारित की गई है। अतः आपेक्षित नामान्तरकरण संख्या 216 निर्णय दिनांक 05.09.2006 निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम रान पटवार मण्डल नराणा नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 05/09/2006 को निरस्त किया जाकर

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

तहसीलदार देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक चतरसिंह पिता जीवनसिंह के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकारान को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)